न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री रामसिंह गुर्जर, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 282 / 2022

प्रार्थीगण **बनाम** विप्रार्थीगण

प्रार्थीगण:

1.वोहताराम पुत्र तुलसाराम उम्र 45 वर्ष
2. प्रभूराम पुत्र तुलसाराम उम्र 35 वर्ष
3. रूघाराम पुत्र तुलसाराम उम्र 50 वर्ष
4. कानाराम पुत्र तुलसाराम उम्र 40 वर्ष
5. शंकराराम पुत्र तुलसाराम उम्र 48 वर्ष
जातियान कुम्हार (प्रजापति) निवासी मोतीसरा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:

1.रावताराम पुत्र खुबाराम उम्र 27 वर्ष
2. विशनाराम पुत्र खुबाराम उम्र 29 वर्ष
3. वीराराम पुत्र खुबाराम उम्र 23 वर्ष
4. पेमाराम पुत्र सवाराम उम्र 40 वर्ष
5. प्रागाराम पुत्र शिवजीराम उम्र 40 वर्ष
6. मूलाराम पुत्र शिवजीराम उम्र 45 वर्ष
जातियान कुम्हार (प्रजापति) निवासी मोतीसरा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
7. कानाराम पुत्र सांगाराम उम्र 50 वर्ष
8. भानाराम पुत्र सांगाराम उम्र 53 वर्ष
9. हीराराम पुत्र सांगाराम उम्र 48 वर्ष
10.भलाराम पुत्र सांगाराम उम्र 50 वर्ष
जातियान जाट निवासी भलखाड़ी पायला खुर्द तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
11.शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैक शाखा सिणधरी
12. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री जोगराज पोटलिया, श्री पाबूराम बेनीवाल,
   अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

<u>आदेश</u>

दिनांक 14.06.2023

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा मोतीसरा पटवार क्षेत्र पायला खुर्द तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 245 / 3 रकबा 4.8297 हैक्टेयर अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा खेत मौजा मोतीसरा पटवार क्षेत्र पायला खुर्द तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 245/3 रकबा 4.8297 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत मौजा मोतीसरा पटवार क्षेत्र पायला खुर्द तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 245/3 रकबा 4.8297 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है एवं सेढ़ो की माठों को खुर्द बुर्द किया जाता रहा है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा मौजा मोतीसरा पटवार क्षेत्र पायला खुर्द तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 245/3 रकबा 4.8297 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया मौजा मोतीसरा पटवार क्षेत्र पायला खुर्द तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 245/3 रकबा 4.8297 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार है,और रिकार्डेड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नंहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा,प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा मोतीसरा पटवार क्षेत्र पायला खुर्द तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 245/3 रकबा 4.8297 हैक्टेयर भूमि के चारो

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 14.06.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी